



म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

ब्लॉक-1, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

(मुख्य कार्यालय-59, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल)

क्र./ 1569 / MGNREGS -MP/NR-3/SE-II/2012

भोपाल, दिनांक 15/02/2013

प्रति,


कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला – समस्त (म.प्र.)

विषय: ग्राम पंचायतों में नवीन कार्य प्रारंभ करने बावत।

संदर्भ: परिषद् का पत्र क्र. 187 / MGNREGS -MP/NR-3/SE-II/ 2012 भोपाल, दिनांक 27.09.12

भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की नवीन दिशा निर्देशिका 2013 (चौथा संस्करण) जारी की गई है। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत दिये नवीन निर्देशानुसार अनुसूची 01 में नवीन कार्यों को भी जोड़ा गया है। भारत सरकार से योजना अंतर्गत राशि भी उपलब्ध हो गई है।

अतः परिषद् से जारी संदर्भित पत्र मूलतः निरस्त किया जाता है।


(डॉ. रवीन्द्र पस्तोर)

आयुक्त


म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पृ.क्र./ 1570 / MGNREGS -MP/NR-3/SE-II/2012

भोपाल, दिनांक 15/02/2013

प्रतिलिपि:-

संभाग आयुक्त, संभाग (समस्त) की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्